# कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : SCERT / शि0शि0सेवापूर्व / 7474-75 विज्ञप्ति / दो–I(06) / 2020–21, दिनांक 10 मार्च, 2021

**द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019–20 में सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउन्सलिंग सम्बन्धी सूचना**

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/ डी0एल0एड0– 2019–20(1) / विज्ञप्ति / 1164–67 / 2021, दिनाँक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–20 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 26 फरवरी, 2021 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षाफल (योग्यता सूची / चयन सूची) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध है। समस्त सफल / चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0(OMR) आवेदन पत्र पर अंकित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकना का परीक्षण / मिलान मूल प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों से करने एवं प्रशिक्षण के लिए जनपद आवंटन हेतु, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सलिंग राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में दिनांक 05 अपैल 2021 से 23 अप्रैल, 2021 तक निर्धारित की जाती है। चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश SCERT की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त वांछित प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि को स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक,
एस.सी.ई.आर.टी.उत्तराखण्ड

**द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019–20 में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश**

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0– 2019–20(1)/विज्ञप्ति/**1164–67**/2021, दिनाँक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–20 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 26 फरवरी, 2021 घोषित कर दिया गया है। परीक्षाफल (योग्यता सूची/चयन सूची) नितान्त औपबन्धिक है। सफल अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अहर्ताएँ पूर्ण करते हों। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं–

1. परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड़ विद्यालयी शिक्षा परिषद् की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों को जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिनका विवरण निम्नवत् है–

| क्र0 सं0 | अभिलेख |
|---|---|
| 1 | 1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र ।<br>2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र।<br>3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र।<br>4. इण्टर परीक्षा का प्रमाणपत्र।<br>5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र।<br>6. स्नातक परीक्षा का प्रमाणपत्र। |
| 2 | 1. SC/ST/OBC/EWS के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र। |
| 3 | 1. DFF/PH/Ex.Sol के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र। |
| 4 | 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति–2/337– 56/2019–20 दिनांक 06 जनवरी 2020 के बिन्दु संख्या 7 (क) एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र।<br>(क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास।<br>(ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है) |
| 5 | 1. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेशपत्र ।<br>2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई0डी0। |
| 6 | 1. दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ। |

2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ओ0एम0आर0 शीट पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाणपत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा।
3. राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के सम्बन्ध में की गयी अर्हताओं के मिलान पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

5. काउंसिलिंग के समय पाये जाने वाले विसंगति प्रकरणों की जाँच शासनादेश संख्या/433/XXIV(1)/2019–02/2018 दिनांक 16 अगस्त 2019 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6. काउंसिलिंग प्रक्रिया लगभग 11 कार्यदिवसों में सम्पन्न होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें उनके आवेदन पत्र पर अंकित पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचना भेजकर काउंसिलिंग में सम्मिलित होने का एक और अवसर प्रदान किया जायेगा

7. इसके साथ ही उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ पर भी उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

8. यदि पंजीकृत पत्र एवं दूरभाष व ई–मेल द्वारा सूचित करने के पश्चात् भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है, तो दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर, उपस्थिति हेतु अन्तिम अवसर देते हुये, 15 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।

9. यदि उसके पश्चात् भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, परीक्षा संस्था बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी प्रतीक्षा सूची से, वर्गवार, श्रेणीवार, आरक्षणवार रिक्त स्थानों/सीटों की पूर्ति कर दी जायेगी।

10. राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गई सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने के उपरान्त, प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर, प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जायेगा।

11. काउंसिलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से, उत्तराखण्ड की 13 डायट्स की सीटों हेतु, वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के अनुरूप, विकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में गृह जनपद को भरेंगे।

12. समस्त स्थानों/सीटों हेतु श्रेणीवार, वर्गवार काउंसिलिंग किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गये विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी – दिनांक 05 अप्रैल 2021 से 23 अप्रैल 2021।

| क्र0 सं0 | दिनांक | दिवस | वर्ग | उपवर्ग | श्रेणी | संख्या | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 05.04.2021 | सोमवार | विज्ञानेत्तर वर्ग | अंग्रेजी मुख्य विषय से स्नातक | • सामान्य<br>• अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति<br>• अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 26<br>09<br>02<br>07<br>05 | 49 |
| 2. | 06.04.2021 | मंगलवार | | हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक एवं इण्टर स्तर पर संस्कृत | • सामान्य<br>• अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति<br>• अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 26<br>09<br>02<br>07<br>04 | 48 |
| 3. | 07.04.2021 | बुधवार | | हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों से स्नातक के अतिरिक्त अन्य मानविकी विषयों से स्नातक | • सामान्य (चयन सूची 2/6 (विज्ञानेत्तर वर्ग– अन्य मानवीकीय वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक) के क्रम संख्या 1 से 60 तक ) | 60 | 60 |
| 4. | 08.04.2021 | वृहस्पतिवार | | हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों से स्नातक के अतिरिक्त अन्य मानविकी विषयों से स्नातक | • सामान्य ( चयन सूची 2/6 (विज्ञानेत्तर वर्ग– अन्य मानवीकीय वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक) के क्रम संख्या 61 से 121 तक ) | 61 | 61 |
| 5. | 09.04.2021 | शुक्रवार | | हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों से स्नातक के अतिरिक्त अन्य मानविकी विषयों से स्नातक | • अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति | 43<br>08 | 51 |
| 6. | 16.04.2021 | शुक्रवार | | हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों से स्नातक के अतिरिक्त अन्य मानविकी विषयों से स्नातक | • अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 32<br>20 | 52 |
| 7.. | 17.04.2021 | शनिवार | विज्ञान वर्ग | भौतिक एवं गणित विषयों से स्नातक | • सामान्य | 69 | 69 |
| 8. | 19.04.2021 | सोमवार | | भौतिक एवं गणित विषयों से स्नातक | • अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति<br>• अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 25<br>05<br>17<br>12 | 59 |
| 9. | 20.04.2021 | मंगलवार | | रसा0वि0, जन्तु वि0 एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से स्नातक | • सामान्य | 69 | 69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 22.04.2021 | सोमवार | | रसा0विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से स्नातक | • अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति<br>• अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 25<br>05<br>18<br>11 | 59 |
| 11. | 23.04.2021 | मंगलवार | | विज्ञान वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक | • सामान्य<br>• अनु.जाति<br>• अनु.जन.जाति<br>• अन्य पिछड़ा वर्ग<br>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 34<br>11<br>03<br>09<br>07 | 64 |

उपरोक्त तालिका उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0– 2019–20(1)/ विज्ञप्ति/**1164–67**/ 2021, दिनाँक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–20 के घोषित परीक्षाफल (योग्यता/चयन सूची) के आधार पर तैयार की गई है। **एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा काउंसिलिंग कार्यक्रम का आयोजन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में उपरोक्त/संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्तावित है। तालिका के स्तम्भ संख्या–4, 5, एवं 6 में वर्ग, उपवर्ग, श्रेणीवार अंकित अभ्यर्थी स्तम्भ संख्या–02 एवं 03 में अंकित तिथियों के अनुसार काउन्सलिंग प्रक्रिया में** वांछित समस्त मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को इन प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित एक–एक छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम् फोटोग्राफ भी, अनिवार्य रूप से, काउंसिलिंग के समय समिति को उपलब्ध करानी होगी।

**काउन्सलिंग में आने से पूर्व सफल अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि–**

1. 01 जुलाई 2020 को उनकी आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2001 के बाद की न हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (06 जनवरी 2020) से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (चयनित उपवर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो।
3. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो।
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी (DFF) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो, जिससे उनके स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके।
5. विकलांगता (PH) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता (40 प्रतिशत् या इससे अधिक दिव्यांगता) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो।
6. भूतपूर्व सैनिक– स्वयं (Ex. Sol. Self) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

द्वारा प्रदत्त) हो, जिससे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों। विज्ञ हों कि इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है, उनके आश्रितों को नहीं।

7- उर्ध्वाधर (Vertical), तथा क्षैतिज (Horizontal) दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

8- विस्तृत निर्देश हेतु वेबसाइट में संलग्न परिशिष्ट–1 का अवलोकन कर लें।

9. कोविड–19 के दृष्टिगत निम्न निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है–

- काउंसिलिंग कक्ष में मात्र अभ्यर्थी ही जा सकेंगे।
- बिना मास्क के अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी अपना स्वयं का सेनिटाइजर भी रखेगा/रखेगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- अभ्यर्थी काउंसिलिंग स्थ्ल के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, साथ ही कोविड–19 की गाईडलाइन का पालन करेंगें।
- काउंसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति, में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण से संबंधित शासनादेश विज्ञप्ति एवं विवरणिका को परिशिष्ट–1 में संलग्न किया गया है।

10/3/2021

| | | |
|---|---|---|
| **कंचन देवराड़ी** | **अजय कुमार नौडियाल** | **सीमा जौनसारी** |
| **संयुक्त निदेशक** | **अपर निदेशक** | **नोडल अधिकारी/ निदेशक,** |
| **एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड** | **एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड** | **अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड** |

# नियोक्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र

(शासनादेश संख्या/433/XXIV (1)/2019-02/2018 दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुपालन में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.........................................पिता/पति.................
.........................इस संस्थान/कार्यालय/विभाग........................................................जनपद...........
...................राज्य...............................में राज्य/केन्द्र/राज्यस्वायत्तशासी / अर्द्धशासकीय निकाय में दिनांक........................................से .........................पद पर ...............................वेतनक्रम (ग्रेड़ वेतन/वेतन लेवल) पर अविरल रूप से कार्यरत हैं, तथा इनकी सेवायें राज्य से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं है।

इनके पुत्र/पुत्री अथवा स्वयं (नाम) ................................................. हैं।

दिनांक .......................

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नामः ....................................

पदनामः ...............................

(मुहर सहित)

10/04/2021